

‘परसिंपत्त पुनर्गठन कंपनियाँ’: संभावनाएँ और चुनौतियाँ

यह एडिटरियल 22/11/2021 को ‘इंडियन एक्सप्रेस’ में प्रकाशित “Tackling the Problem of Bad Loans” लेख पर आधारित है। इसमें भारत में ‘बैड लोन्स’ के समाशोधन की बाधाओं और ARCs के प्रदर्शन में सुधार के लिये आवश्यक उपायों के संबंध में चर्चा की गई है।

संदर्भ

पछिले पाँच वर्षों में बैंकों के ‘अशोध्य ऋण’ (Bad Debt) के समाधान और वसूली में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। हालाँकि, व्यवस्था में अभी भी लगभग 10 लाख करोड़ रुपए की तनावग्रस्त परसिंपत्त का समाधान नहीं हो सका है।

‘कंपनी अधिनियम, 2013’ में समाविष्ट ‘राष्ट्रीय परसिंपत्त पुनर्गठन कंपनी’ (National Asset Reconstruction Company- NARCL) उधारदाताओं के बैलेंस शीट के त्वरित समाधान की एक उम्मीद पैदा करती है।

NARCL का गठन एक स्वागतयोग्य पहल तो है, लेकिन उच्च और आवरती गैर-नष्पादित संपत्त निर्माण के संचय की मूलभूत समस्या को संबोधित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

भारत में परसिंपत्त पुनर्गठन कंपनियाँ (ARCs)

- **ARCs की स्थिति:** वर्तमान में परचालित 28 ARCs (नजी क्सेत्र) में से कई की भूमिका काफी सीमित है। केवल शीर्ष 5 ARCs ही प्रबंधनाधीन परसिंपत्त (Asset Under Management- AUM) के 70% से अधिक और पूंजी के 65% से अधिक भाग के लिये उत्तरदायी हैं।
 - यहाँ तक कि नजी क्सेत्र के ARCs ने भी ‘जॉम्बी एसेट्स’ की बिक्री में बेहतर प्रदर्शन नहीं किया है और अधिग्रहण परसिंपत्तियों में से मात्र 13.9% की बिक्री में सफल हुए हैं।
 - लगभग एक तिहाई ऋण पुनर्निर्धारित किये गए हैं।
 - यह उतना मूल्यवर्द्धन नहीं है जितना कि उधारदाताओं ने बना किसी अतिरिक्त लागत के कर लिया होता।
- ‘अशोध्य ऋणों’ के समाधान के लिये पूर्व में की गई पहलें:
 - पछिले तीन दशकों में अशोध्य ऋणों के समाधान के लिये कई संस्थागत और नीतित उपाय किये गए हैं। इन संस्थागत उपायों में शामिल हैं:
 - औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (BIFR), 1987
 - लोक अदालत
 - ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT), 1993
 - कॉर्पोरेट ऋण पुनर्गठन, 2001
 - **वित्तीय आस्तियों का प्रतभूतकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतभूत हित प्रवर्तन अधिनियम (SARFAESI Act), 2002**
 - हालाँकि **लोक अदालत**, ‘ऋण वसूली न्यायाधिकरण’ और **सरफेसी अधिनियम** क्रमशः 6.2%, 4.1% और 26.7% समाधान ही दे सके।
 - रज़िर्व बैंक ने भी वर्ष 2013-14 के दौरान तनावग्रस्त संपत्तियों के समाधान, पुनर्निर्माण और पुनर्गठन के लिये कई उपाय शुरू किये।
 - यद्यपि ये उपाय भी उद्देश्य की पूर्ण पूर्ता में सफल नहीं रहे और बाद में उन्हें त्याग दिया गया।
- **NARCL की स्थापना:** राष्ट्रीय परसिंपत्त पुनर्गठन कंपनी (NARCL) को कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत शामिल किया गया है और इसने ‘परसिंपत्त पुनर्गठन कंपनी’ (Asset Reconstruction Company- ARC) के रूप में लाइसेंस के लिये भारतीय रज़िर्व बैंक को आवेदन किया है।
 - सार्वजनिक क्सेत्र में नवस्थापित NARCL उधारदाताओं की बैलेंस शीट के तीव्र ‘क्लीन अप’ की उम्मीदें देता है।
 - संकटग्रस्त संपत्तियों के समाधान के मामले में यह 30वीं और सार्वजनिक क्सेत्र की पहली ARC है।
 - इसकी सर्वप्रमुख विशेषता संकटग्रस्त संपत्तियों के तीव्र एकत्रीकरण में निहित है। इसके साथ ही, इसकी प्रतभूतकृत रसीदें (Securitized Receipts- SRs) संप्रभु आश्वासन रखती हैं।
 - यह आरंभ में 500 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण वाले बड़े खातों पर ध्यान केंद्रित करेगी और उम्मीद है कि बैंकों को कष्टप्रद वसूली प्रक्रिया से मुक्त करेगी, जिससे उन्हें बेहद आवश्यक क्रेडिट वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने के लिये अधिक अवसर मिल सकेगा।
- **IBC की प्रगति:** दवाला और दवालियापन संहिता (IBC), 2016 एक अभूतपूर्व अधिनियम है, जिसमें कानूनी रूप से बाध्य समयबद्ध समाधान प्रक्रिया भी शामिल है।

- गुणात्मक रूप से, इसने धन की हेराफेरी करने वाले शातरि कॉर्पोरेट उधारकर्त्ताओं के अंदर भय की एक भावना पैदा की और उनके कृत्यों पर अंकुश लगाया। इसने 'एवरग्रीनगि' को लगभग समाप्त कर दिया है।
- भले ही इस नई प्रकिया के तहत भी देरी की समस्या वदियमान है, कतिु यह उतनी अधिक नहीं है, जतिनी पूरव होती थी।

'बैड लोन्स' के समाशोधन के मार्ग की चुनौतियाँ

- **NCLT में पर्याप्त अवसंरचना की कमी:** **राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय नयायाधकिरण** (NCLT) 'दवाला और दवालियापन संहति' का आधार है, लेकिन दुर्भाग्य से यह अवसंरचना की कमी से जूझ रहा है और इसके बेंचों में 50% (63 में से 34) रक्तिर्यौ मौजूद हैं।
 - NCLT के पास 9.2 लाख करोड़ रुपए मूल्य के संकटग्रस्त ऋण से संबद्ध 13,170 से अधिक मामले लंबति पड़े हैं।
 - पर्याप्त बुनयािदी ढाँचे की कमी के साथ ही इसके नरिणयों की खराब गुणवत्ता IBC की बड़ी कमजोरी साबति हुई है।
- **पहचान और समाधान की देरी:** IBC को संदर्भति मामलों के 47% (1,349 से अधिक मामले) के परसिमापन/ऋणमुक्ति(Liquidation) के आदेश दयि गए हैं।
 - इनमें से 70% से अधिक मामले दशकों से 'औद्योगकि और वत्तितीय पुनर्रनिमाण बोरड' (अब वधिटति) के पास लंबति पड़े थे।
 - लेनदारों के लगभग 6.9 लाख करोड़ रुपए के कुल दावों के मुकाबले परसिमापन मूल्य (Liquidation Value) केवल 0.49 लाख करोड़ रुपए थी।
- **'एंकरगि बाएज़' लगभग 'लकिवडिशन वैल्यू' के बराबर :** उपलब्ध जानकारी के आधार पर नरिणय लेने की प्रवृत्तिको 'एंकरगि बाएज़' (Anchoring Bias) कहा जाता है।
 - संकटग्रस्त संपत्तियों के लयि बोली लगाने में यह जानकारी ARCs के लयि अधगिरहण की लागत है।
 - IBC प्रकिया के मामले में, यह IBBI (Insolvency and Bankruptcy Board of India) मूल्यांकनकरत्ताओं द्वारा नरिधारति परसिमापन मूल्य है।
 - इन संकटग्रस्त संपत्तियों को NARCL द्वारा 20% पर अधगिरहति कयि जा सकता है।
 - अधगिरहण की यह कम लागत 'एंकर इफेक्ट एंड बाएज़' (Anchor Effect and Bias) से ग्रस्त होगी। संभावति बोलीकरत्ता इसी एंकर के नकिटतम कीमतों को कोट करेंगे।

आगे की राह

- **न्यायकि और नयामक सुधार:** शीघ्र और अंतमि समाधानों के लयि न्यायकि सुधारों की तत्काल आवश्यकता है।
 - उधारदाताओं और नयामकों को वलिबति पहचान और समाधान के मुद्दे को संबोधति करना चाहयि।
 - अधिक लचीली प्रावधान आवश्यकताओं के लयि उधारदाताओं को प्रोत्साहति करना उन्हें इसके त्वरति पहचान के लयि प्रेरति करेगा।
 - NPA वर्गीकरण पर नयामक मानदंडों से भी पहले व्यावसायकि तनाव और/या वत्तितीय तनाव की पहचान कयि जाने की जरूरत है।
- **'एंकर बाएज़' को कम करना:** नोबेल पुरस्कार वजित डैनयिल कैनैमैन (Daniel Kahneman) का मानना है कि 'एंकरगि इफेक्ट प्रयोगशाला जजिजासा भर नहीं है और वास्तवकि दुनया में भी उतना ही प्रभावशील हो सकता है।'
 - उनके अनुसार, 'जब लोगों को एक कठनि परसिथतिकि सामना करना पड़ता है तो वे प्रायः आसान वकिल्प खोजने लगते हैं और 'एंकर बाएज़' इसी वकिल्प के रूप में कार्य करता है।' इसे 'वपिरित दृष्टिकोण' से कम कयि जा सकता है।
 - उन्होंने 'एंकर बाएज़' को कम करने के लयि तीन-चरणीय प्रकिया का सुझाव दयि है:
 - पूरवाग्रह को स्वीकार करना।
 - सूचना के अधिकि-से-अधिकि नए स्रोतों की तलाश करना।
 - नई सूचना के आधार पर नरिणय लेना।
 - बेहतर बाह्य मूल्य खोज द्वारा एंकर बाएज़ के शमन की आवश्यकता है।
- **नए ARC के लयि उपाय:** IBC ने वलिफुल डफिॉल्टरों द्वारा संकटग्रस्त संपत्तिको वापस ग्रहण करने पर रोक लगा उनके व्यवहार में बदलाव लाने में काफी प्रगतिकि है।
 - NARC को इस सदिधांत को प्रभावति कयि बिना इसे बनाए रखना चाहयि, अन्यथा इससे 'क्रेडिटि संस्कृति' प्रभावति होगी।
 - इसके साथ ही, नैतिकि खतरे के स्थायीकरण से बचने और शीघ्र समाधान को प्रोत्साहति करने के लयि इसमें तीन से पाँच वर्ष की अवधकि 'सनसेट क्लॉज़' (Sunset Clause) शामिल होना चाहयि।
 - इसे अनय ARCs को बकिरी कयि जाने से भी बचना चाहयि।
- **NPAs के संचय को सीमति करना:** NARCL एक सवागतयोग्य पहल है, लेकिन समाधान और पुनर्रप्राप्तिके उपाय और ढाँचों से ही उच्च और आवर्ती NPA नरिमाण के संचय की मूलभूत समस्या का समाधान नहीं पाया जा सकता।
 - इसलयि, NPA के संचय को 2% से कम रखना अत्यंत महत्त्वपूरण है।

अभ्यास प्रश्न: 'बैड लोन्स' के कारण बैंकगि क्षेत्र के समक्ष वदियमान समस्याओं की चर्चा कीजयि और वधिार कीजयि कि परसिंपत्ति पुनर्रगठन कंपनयिों (ARCs) का बेहतर कार्यकरण कसि प्रकार 'बैड लोन्स' के तनाव को कम करने में मदद कर सकता है।

